



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 277]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 13, 2009/वैशाख 23, 1931

No. 277]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 13, 2009/VAISAKHA 23, 1931

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2009

सा.का.नि. 321(अ).—भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 27) की धारा 51 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों को भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तों) नियम, 2009 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) “अधिनियम” से भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 अभिप्रेत है ;

(ख) ऐसे शब्दों और पदों का, जो इसमें प्रयुक्त किए गए हैं किंतु परिभाषित नहीं किए गए हैं तथा अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उनका उस अधिनियम के अधीन है।

3. वेतन और भत्ते.—(1) अध्यक्ष मासिक रु. 80,000 (स्थिर) वेतन का पात्र होगा।

(2) सदस्य, ग्रेड वेतन रु. 12,000 सहित, वेतन बैंड 4 में- रु. 37,000-67,000 के मासिक वेतन का पात्र होगा।

(3) अध्यक्ष और सदस्य केन्द्र सरकार के समूह “क” अधिकारी के समतुल्य ग्रेड वेतन लेने वाले अधिकारी को लागू दरों के अधीन मंहगाई भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता लेने के पात्र होंगे :

परंतु अध्यक्ष अथवा एक सदस्य के पद पर नियुक्त व्यक्ति के केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार की सेवा से निवृत्ति उपरांत नियुक्ति होने व जो पेंशन, उपदान, अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान व अन्य प्रकार के सेवा निवृत्ति लाभ प्राप्त कर रहा हो, कर चुका हो अथवा प्राप्ति हेतु पात्र हो गया हो, ऐसे अध्यक्ष अथवा सदस्य के वेतन से सिवाय आहरित अथवा आहरण योग्य उपदान समतुल्य पेंशन की राशि को छोड़कर पेंशन की सकल राशि अथवा सेवा निवृत्ति लाभ, यदि कोई हो, कम की जाएगी।

इसके आगे यह भी कि यदि वह व्यक्ति केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम तथा/ अथवा स्वायत्त निकाय सहित किसी भी सेवा से रिटायर होने के बाद यदि वह अध्यक्ष अथवा सदस्य के तौर पर नियुक्त होते हैं तो केंद्र सरकार के समान वेतनमान वाले ग्रुप "ए" के अधिकारियों पर लागू मंहगाई भत्ते के हकदार होंगे, किंतु वे उस अवधि में मंहगाई राहत के हकदार नहीं होंगे जिसमें वे अध्यक्ष अथवा सदस्य के तौर पर कार्यरत रहे ।

4. **छुट्टी :-**(1) अध्यक्ष तथा सदस्य सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए तीस दिनों के अर्जित अवकाश के हकदार होंगे ।

(2) छुट्टी वेतन का भुगतान केंद्र सरकार सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 के अधीन होगा ।

(3) अध्यक्ष तथा सदस्य किसी भी समय अपनी अर्जित छुट्टी के पचास प्रतिशत का नगदीकरण कराने के हकदार होंगे ।

5. **सामान्य भविष्य निधि अथवा अंशदायी भविष्य निधि, पेंशन तथा ग्रेच्युटी :-** (1) अध्यक्ष तथा सदस्य अंशदायी भविष्य निधि नियमावली के अधीन होंगे तथा उनके लिए जीपीएफ नियमावली के अंतर्गत अंशदान करने का कोई विकल्प नहीं होगा ।

(2) प्राधिकरण में की गई सेवाओं के लिए अतिरिक्त पेंशन तथा ग्रेच्युटी नहीं दी जाएगी ।

6. **छुट्टी यात्रा रियायत, यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता :-** अध्यक्ष तथा सदस्य दौरे पर यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते के उसी तरह हकदार होंगे जो उसी ग्रेड वेतन में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं तथा केंद्र सरकार के नियंत्रण के गेस्ट हाउस अथवा इंसपैक्शन बंगले में सामान्य किराए पर उपलब्ध अस्थाई सरकारी रिहाइश की सुविधा उसी प्रकार प्राप्त होगी जैसी कि उसी वेतन पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध है ।

7. **चिकित्सा सुविधाएं :-** केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली चिकित्सा उपचार तथा अस्पताल सुविधाओं के अनुरूप ही अध्यक्ष तथा सदस्य भी इन सुविधाओं के हकदार होंगे तथा जहां कोई योजना लागू नहीं हो, वहां वे अध्यक्ष तथा सदस्य जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, उन्हें केंद्रीय सेवा (चिकित्सा सेवा) नियमावली, 1944 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार चिकित्सा सेवाएं प्राप्त होंगी ।

8. **विदेश का सरकारी दौरा :-** (1) अध्यक्ष तथा सदस्य नागर विमानन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री के पूर्व अनुमोदन तथा विदेश मंत्रालय से प्राप्त राजनैतिक अनुमति के बाद विदेश में सरकारी दौरा करने के हकदार होंगे ।

(2) भारत सरकार में बराबर वेतनमान पर कार्यरत अधिकारियों के लिए समय समय पर जारी सरकारी अनुदशों के मुताबिक इन्हें भी विदेशी दौरे की अवधि में दैनिक भत्ते तथा होटल सुविधाएं देय होंगी तथा केंद्र सरकार के बराबर वेतन लेने वाले ग्रुप "ए" अधिकारियों

के अनुरूप ही विदेश में स्थित भारतीय दूतावास इनकी व्यवस्थाओं का ध्यान रखेगा एवं सुविधाएं प्रदान करेगा ।

9. वाहन भत्ता :- कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित वाहन भत्ते के रूप में अध्यक्ष तथा सदस्य को व्यक्तिगत वाहन के रखरखाव तथा घर से कार्यालय पहुंचने के प्रयोग के रूप में रुपये 3000/- तथा रुपये 5000/- प्रति माह की नियत राशि के पात्र होंगे । इसी में ड्राइवर की तनखाह भी शामिल होगी, जो कि सरकारी नौकर नहीं होगा ।

10. आवास :- अध्यक्ष तथा सदस्य को दिल्ली में रहने पर मूल वेतन का 30% मकान किराया भत्ते के दावा करने का विकल्प दिया जाएगा लेकिन प्राधिकरण द्वारा मकान किराये पर नहीं लिया जाएगा अथवा सरकार द्वारा आबंटित नहीं किया जाएगा और यदि वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आसपास के उपनगर में रहते हो, तो अध्यक्ष के लिए 350 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर बने बिना फर्नीचर वाले तथा उपयुक्त खुले क्षेत्र वाला भवन तथा सदस्य के लिए 300 वर्ग मीटर वाले भवन किराये पर लेने के हकदार होंगे ।

11. पद तथा गोपनीयता की शपथ :- अध्यक्ष तथा सदस्य इस पद पर आसीन होने से पूर्व मंत्री के समक्ष इन नियमों के साथ संलग्न फॉर्म I व फॉर्म II में पद तथा गोपनीयता की शपथ लेंगे ।

12. टेलीफोन सुविधा, सरकारी बैठकें तथा मनोरंजन खर्च :- अध्यक्ष तथा सदस्य केन्द्रीय सरकार के समान वेतन प्राप्त करने वाले ग्रुप ए के अधिकारियों के अनुसार टेलीफोन सुविधाएं, सरकारी बैठकें तथा मनोरंजन खर्च के हकदार होंगे ।

13. अवशिष्ट मामले :- अध्यक्ष तथा सदस्य की सेवा के नियम और शर्तों से जुड़े वे मामले जिनके बारे में इन नियमों में प्रावधान नहीं दिए गए हैं, वे केन्द्रीय सरकार के समान वेतन लेने वाले ग्रुप "ए" अधिकारियों के समरूप होंगे ।

[फा. सं. ए वी. 24011/003/2009-एडी]

अरुण मिश्रा, संयुक्त सचिव

संलग्नक

फॉर्म- I

(नियम 11 देखें)

विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष/सदस्यों
के लिए पद की शपथ का फार्म

मैं, _____ अध्यक्ष/सदस्य (जो लागू न हों उसे काट दें) के रूप में नियुक्त किये जाने पर सत्यनिष्ठापूर्वक ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी सर्वोत्तम योग्यता, जानकारी तथा विवेक के अनुसार बिना किसी भय अथवा पक्षपात अथवा दुर्भावना के विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य (जो लागू न हों उसे काट दें) के रूप में पूर्ण निष्ठा तथा सजगता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करूंगा तथा इस देश के संविधान तथा कानून का पालन करूंगा ।

(अध्यक्ष/सदस्य का नाम)

दिनांक : _____ विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

फॉर्म- II

(नियम 11 देखें)

विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष/सदस्यों
के लिए गोपनीयता की शपथ का फार्म

मैं, _____ अध्यक्ष/सदस्य (जो लागू न हों उसे काट दें) के रूप में नियुक्त किये जाने पर सत्यनिष्ठापूर्वक ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि मैं प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समक्ष किसी भी ऐसे मामले को सम्प्रेषित अथवा प्रकट नहीं करूंगा जो विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य (जो लागू न हों उसे काट दें) के रूप में मेरे विचाराधीन लाया जाएगा अथवा जानकारी में आएगा, जब तक कि ऐसा करना विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष/सदस्य (जो लागू न हों उसे काट दें) के रूप में अपने कर्तव्यों के विधिवत निर्वाह के लिए अपेक्षित न हो ।

(अध्यक्ष/सदस्य का नाम)

दिनांक : _____ विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण